101

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 2193–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 46/अ–67/11–12.

मेसर्स ए पी आर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडट
सुन्दर नगर हैदराबाद,
आंध्रप्रदेश ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा –
कलेक्टर (माईनिंग) जिला जबलपुर ---- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एच0 के0 अग्रवाल ।
प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 16-8-2016 को पारित)

यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 46/अ–67/11–12 में पारित आदेश दिनांक 24–8–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक, द्वारा कलेक्टर, जबलपुर को दिनांक 20–4–06 को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया गया कि जिला जबलपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत शासकीय कार्य चल रहे हैं । उक्त निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले गौंण खनिजों की मात्रा संबंधी जानकारी संबंधित ठेकेदार/अधिकारी से चाही गई थी जो नहीं दी गई है और ना ही रॉयल्टी जमा की गई है । अतः उपयोग किए

गए खनिज मात्रा को अवैध रूप से उत्खनन कर बिना रॉयल्टी जमा कराये उपयोग किया जाना मानकर संहिता की धारा 247(7) के तहत प्रकरण तैयार किया जा रहा है । प्रतिवेदन में खनिज निरीक्षक द्वारा आवेदक कंपनी के साथ–साथ कार्यपालन यंत्री, लोधी सागर वितरण संभाग पाटन एवं मुख्य अभियंता रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स जबलपुर को उल्लंघन का दोषी बताते हुए यह उल्लेख किया गया कि आवेदक कंपनी द्वारा उपयोग किए गए खनिज पर खनिज की रॉयल्टी की राशि रूपये 2,18,806/– देय है । प्रतिवेदन में खनिज निरीक्षक ने उपयोग किए गए खनिज का बाजार मूल्य रूपये 1,45,87,074/– दर्शाते हुए बाजार मूल्य का दुगना रूपये 2,91,74,148/– की शास्ति प्रतिवेदित की गई । इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–5–2006 को प्रकरण पंजीबद्ध कर अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तदुपरांत दिनांक 24–8–2011 को कलेक्टर जबलपुर ने बिना अपीलार्थी पक्ष को सुने खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रतिवेदन दिनांक 23–8–11 के आधार पर यह मानते हुए कि अपीलार्थी द्वारा उपयोगित खनिज की तत्समय की दर से रायल्टी की राशि रूपये 42,40,715/– होती है जो अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं की गई है, अतः उक्त राशि तथा खनिज निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित खनिजों की मात्रा का बाजार मूल्य राशि रूपये 3,08,06,800/– की दुगनी राशि रूपये 6,16,13,600/– का अर्थदंड आरोपित करते हुए अपीलार्थी से वसूल करने के निर्देश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिये गये हैं कि कलेक्टर, जबलपुर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जैसाकि उनके आदेश दिनांक 24–8–11 से स्पष्ट है । कलेक्टर का उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है । अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अवैधता की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने नहर निर्माण में रेता आदि खनिज का उपयोग क्रय कर किया गया है । अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं किया गया है । कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अधीन अर्थदण्ड इस आधार पर

आरोपित किया गया है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा उपयोगित खनिज की रायल्टी राशि शासन के खाते में जमा नहीं कराई है, कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष सही नहीं है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय का ध्यान कलेक्टर के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख में संलग्न खनिज विभाग एवं कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई, लो. सा. पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स जबलपुर के पत्रों की ओर दिलाया गया जिनमें अपीलार्थी की ओर से रॉयल्टी की राशि जमा कराने का उल्लेख है ।

यह तर्क भी दिया कि खनिज अधिकारी का 23–8–11 का प्रतिवेदन खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया है, खनिज निरीक्षक का जो प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है वह किस आधार पर तैयार किया गया है, इस कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को पूर्णतः अनदेखा करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा नहर निर्माण कार्य में सी0एन0एस0 में कंकर मिली मिट्टी का उपयोग किया गया है, जिस पर रॉयल्टी देय नहीं है इसके उपरांत भी कलेक्टर द्वारा उसे मुरम मानकर उस पर 17 रूपये घन मीटर की दर से 28,50,271/– रूपये रॉयल्टी देय मानने में त्रुटि की गई है । इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय का ध्यान खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20–4–06 के साथ संलग्न कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई, लो. सा. पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स जबलपुर के उत्तर की ओर आकर्षित किया गया । जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " अपीलार्थी के द्वारा कंकड मिली पीली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है जो गौंण खनिज की श्रेणी में नहीं आती है अतः रायल्टी का प्रश्न ही नहीं उठता और इसी कारण जिलाध्यक्ष को उक्त कार्य में मुरूम का उपयोग नहीं किए जाने से जानकारी नहीं भेजी गई । " जिलाध्यक्ष द्वारा इसके उपरांत भी प्रकरण पंजीबद्ध कर अवैधानिक त्रुटि की गई है ।

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही दुर्भावना से ग्रसित होकर की गई है । दो शासकीय विभागों में आपसी सामंजस्य न होने का दण्ड अपीलार्थी को दिया गया है जो पूरी तरह अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया कि विभाग द्वारा कलेक्टर के आदेश के उपरांत अपीलार्थी कंपनी की धरोहर के रूप में जमा राशि में से 20,10,562/– की राशि रॉयल्टी के रूप में बिना अपीलार्थी को सूचना दिए काट ली गई है जबकि अपीलार्थी पर कोई रॉयल्टी शेष नहीं थी ।

यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों के अनुसार जो तत्व अर्थदंड आरोपित करने के संबंध में दिए गए हैं उनमें से इस प्रकरण में एक भी तत्व विद्यमान नहीं हैं । कलेक्टर ने अपने आदेश में खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, परंतु उक्त अधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया है, इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है । खनिज निरीक्षक ने किस आधार पर अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना बताया गया है, इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । अवैधानिक खनिज उत्खनन किस क्षेत्र से किया गया है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । उक्त आधार पर कहा गया है कि खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारहीन होने के कारण प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अविक्ता द्वारा 1968 आर एन0 261 एवं 1976 आर0एन0 419 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) में यह प्रावधान है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन है और शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में न तो अवैध उत्खनन करते हुए किसी ने देखा है न ही अवैध उत्खनन मौके पर जप्त किया है तथा न ही अवैध उत्खनन में लाई गई सामग्री जप्त की गई है तथा न ही गढ्ढे के नाप के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है और ना ही उसे खुले बाजार में बेचा जाना प्रमाणित है । यह भी कहा गया है कि संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत वादग्रस्त स्थान का सीमांकन आवश्यक है तथा सीमांकन अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए जबकि मौजूदा प्रकरण में कोई सीमांकन नहीं हुआ है । अवैध उत्खनन के प्रकरणों में अवैध उत्खनन का दिनांक, अवैध उत्खनन में लाई गई वस्तु की मात्रा तथा उसके तथ्यात्मक बाजारू मूल्य का लेख किया जाना भी आवश्यक है चाहिए । जबकि इस प्रकरण में उक्त अनिवार्य प्रावधानों का कोई पालन नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि शासकीय कार्य में किया गया उत्खनन वैसे भी अवैध उत्खनन नहीं होता है तथा उस पर धारा 247 (7) के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । इस वैधानिक प्रश्न पर भी जिलाध्यक्ष द्वारा कोई विचार नहीं गया है । उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर जिलाध्यक्ष द्वारा नजर अंदाज कर आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है । अपने तर्क के समर्थन में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2005 आर0 एन0 107, 1990 आर0एन0 162, 1976 आर.एन. 453, 1997 आर0एन0 174,

1996 आर.एन. 365, 1968 आन.एन. 261, 1988 आर.एन. 64 एवं 1981 एम.पी.डब्लू.एन. II नोट 247 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त तर्कों को अधीनस्थ न्यायालय में उठाया गया था, किंतु उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और अवैधानिक तरीके से कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है । उक्त आधारों पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने तथा अपीलांट के विरूद्ध प्रारंभ किये गये उत्खनन के प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नहर निर्माण में जिन गौंण खनिज का उपयोग किया गया है, उसकी रॉयल्टी जमा नहीं की गई । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा रॉयल्टी के साथ अर्थदण्ड आरोपित करने का जो आदेश दिया है, वह उचित है और उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय समवर्ती हैं । अतः उनके द्वारा अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक की रिर्पोट दिनांक 20–4–06 के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है । खनिज निरीक्षक ने अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा नहर निर्माण में उपयोग की गई अन्य पीली मिट्टी की रायल्टी जमा न किए जाने के कारण उपयोग किए गए खनिज को अवैध उत्खनन किया जाना मानकर संहिता की धारा 247(7) के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार किया गया है । रॉयल्टी जमा न करने के आधार पर संहिता की धारा 247 (7) के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करना संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन में अवैध उत्खनन अपीलार्थी द्वारा किस स्थान से किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना ही अवैध उत्खनन की मात्रा की गणना उनके द्वारा किस आधार पर की गई है इसका उल्लेख है । खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कोई स्थल निरीक्षण पंचनामा संलग्न नहीं है । अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा

अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

6/ कलेक्टर के प्रकरण में खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई, लो. सा. पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स जबलपुर के उत्तर की प्रति संलग्न है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थी के द्वारा नहरों में उपयोग की जाने वाली सी0एन0एस0 में कंकर मिली पीली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है जो गौंण खनिज की श्रेणी में नहीं आती है अतः रायल्टी का प्रश्न ही नहीं उठता । इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सी0एन0एस0 में कंकर मिली पीली मिट्टी का उपयोग किया गया है उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुए कलेक्टर द्वारा प्रकरण में अवैध उत्खनन मानने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उक्त स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी अधिवक्ता के इस तर्क में बल है कि दो शासकीय विभागों में आपसी सामंजस्य न होने का दोषी अपीलार्थी को मानना औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रकरण में यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकार के खनिज का खुले बाजार में विक्रय किया गया है जबकि इसके विपरीत अपीलार्थी ने खनिजों का उपयोग सरकारी नहर बनाने में किया गया है इस प्रकार किसी भी खनिज की चोरी प्रमाणित नहीं होती है ।

7/ कलेक्टर के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी इकाई को आदेश पारित करने के पूर्व सूचना एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है । कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 12–1–11 में मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री की ओर से श्री आर.एस. त्रिपाठी, एस.डी.ओ. एवं अपीलार्थी के प्राधिकृत प्राधिकारी के उपस्थित होने तथा खनिज अधिकारी के माननीय उच्च न्यायालय में व्यस्त होने से उपस्थित न होने के कारण उन्हें प्रतिवेदन हेतु समय दिये जाने का उल्लेख है तथा आगामी पेशी दिनांक 2–2–11 नियत की गई है । किंतु दिनांक 2–2–11 को प्रकरण न लिया जाकर कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–7–11 को प्रकरण पुनः सुनवाई में लिया जाकर सर्वसंबंधितों को उपस्थित होने हेतु सूचनापत्र भेजे जाने के निर्देश दिए हैं एवं प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 10–8–11 को नियत किया गया है । दिनांक 10–8–11 की पेशी पर उपस्थित होने हेतु अपीलार्थी को भेजे गये सूचनापत्र की प्रति कलेक्टर के अभिलेख में संलग्न है परंतु उक्त सूचनापत्र अपीलार्थी पर तामील होकर वापिस प्राप्त हुआ है, इसका कोई उल्लेख 10–8–11 की आदेश पत्रिका में नहीं है । दिनांक 10–8–11 के पश्चात कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–8–11 की तिथि नियत की गई है और दिनांक 24–8–11 को

खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है ।

8/ कलेक्टर के आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत अपीलार्थी इकाई पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । संहिता की धारा 247(7) के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित की जा सके इसके लिए जिन आवश्यक तथ्यों का साबित होना आवश्यक है उनमें से एक भी तथ्य इस प्रकरण में विद्यमान नहीं है । कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी पर संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत केवल इस आधार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा रॉयल्टी की राशि जमा नहीं कराई गई है और विभाग द्वारा भी रॉयल्टी राशि जमा कराये जाने हेतु कोई समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गई है । रॉयल्टी की राशि अदा न करने के कारण अर्थदण्ड आरोपित किया जाना संहिता की धारा 247 (7) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है । इस विधिक स्थिति को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है ।

9/ कलेक्टर ने अपने आदेश में अपीलार्थी द्वारा किए गए कार्य में उपयोग की गई खनिज गिट्टी, मुरम, रेत व बोल्डर का उल्लेख करते हुए खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त खनिज की रॉयल्टी रूपये 42,40,715/– बताई है एवं यह कहा है कि उक्त राशि अपीलार्थी द्वारा अनेकों बार आदेशित कराने के उपरांत जमा नहीं कराई है । रॉयल्टी जमा न कराने संबंधी कलेक्टर का निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख में संलग्न पत्रादि से स्पष्ट है अपीलार्थी द्वारा समय–समय पर रॉयल्टी की राशि जमा कराई गई है, जिसका उल्लेख खनिज निरीक्षक एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा भी आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख में संलग्न पत्रों में किया गया है । संबंधित विभाग द्वारा रॉयल्टी की राशि जमा कराये जाने के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही न करने को आधार बनाकर आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में रॉयल्टी न जमा कराने के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक आधार अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में अपने आदेश नहीं दर्शाया गया है और न किसी प्रावधान का उल्लेख किया गया कि उक्त अर्थदण्ड उनके द्वारा किस गणना के आधार पर अधिरोपित किया गया है । इससे स्पष्ट

परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आदेश पारित न कर मनमाने स्वरूप का आदेश पारित किया गया है ।

10/ उत्खनन के प्रकरणों में सबूत का भार शासन पर होता है कि वह सिद्ध करे कि अवैध उत्खनन हुआ है और यदि अवैध उत्खनन सिद्ध नहीं किया गया तो अपीलार्थी पर अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 247 (7) – सबूत का भार सरकार पर – खनन निरीक्षक की साधारण रिर्पोट – उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अभाव में पर्याप्त नहीं – साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1990 आर0एन0 162 में यह व्यवस्था दी गई है कि खदान निरीक्षक का प्रतिवेदन परिवाद है और उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है । उसके उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है । न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 247 (7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है । उसके द्वारा ही सिद्ध किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन अथवा अवैध उत्खनन किया गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1997 आर. एन. 174 में यह व्यवथा दी गई है कि धारा – 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला – सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 247 – खनिज अवैध रूप से निकालना – उपबंध दांडिक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए – मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता । उक्त न्यायिक न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं । जहां तक अपीलांट की ओर से उद्धरित अन्य न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, उनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त न्यायदृष्टांत भी इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । कलेक्टर द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जो भी खनिज का उपयोग किया गया हे वह शासकीय नहर के निर्माण में किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित करना पूरी तरह अवैधानिक एवं अन्यायिक है अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । जहां तक अपर आयुक्त के

आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया जाकर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–11 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–7–15 (अपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित करने संबंधी सीमा तक) अवैधानिक एवं अन्यायिक होने से निरस्त किये जाते हैं । शेष आदेश जहां तक अपीलार्थी पर रॉयल्टी की राशि रूपये 42,40,715/– देय बताई गई है, स्थिर रखा जाता है । चूंकि कलेक्टर के आदेश के उपरांत अपीलार्थी की धरोहर राशि में से रॉयल्टी के पेटे 20,10,562/– रूपये वसूल किए जा चुके हैं अतः अपीलार्थी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे रॉयल्टी की शेष राशि रूपये 22,30,153/– इस आदेश के दिनांक से 3 माह में जमा करें । कलेक्टर को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा रॉयल्टी की शेष राशि रूपये 22,30,153/– जमा कराये जाने की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रकरण समाप्त किया जाये और यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में रॉयल्टी की शेष राशि रूपये 22,30,153/– जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार उसके विरूद्ध रॉयल्टी की उक्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर